

FROM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक कालक्टर (SDO) मुकाम
बायल
नाथाराम बनाम पूनमाराम कर्करा
क्रिम मुकदमा दा. क्रि. 111, 120 RLRAC नं. 234/16 सन्

दिनांक	हुकम कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16/11/16	<p>प्राथी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>जगदीश गोडारा</u></p> <p>न यः प्राथी/वादी/अपील धारा <u>111, 120 RLRAC</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलय होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>12/12/16</u> को पेश हो।</p>	
12/12/16	<p>प्राथी वकील उपस्थित। विप्रथीगणों के नोटिस तामिल सुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रथीगण वाकजुड तामिल अनुपस्थित। प्राथी वकील प्राथी के खालेदारी खेले के माफ़राना की प्रति उपलब्ध रहे उपलब्ध करने पर तामिल पत्रावली दो। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक <u>22/02/17</u> को पेश हो।</p>	
22/02/17	<p>प्राथी वकील उपस्थित। विप्रथीगण वाकजुड तामिल अनुपस्थित। प्राथी वकील द्वारा प्राथी के खालेदारी खेले की पूर्व में इतराये गये तीमाराम की प्रति पेश की गई जिसे तामिल पत्रावली किया गया। प्राथी के अधिवक्ता की एडप्लीस सुनी गई प्राथी के अधिवक्ता ने कलमा की प्राथी को अपने खालेदारी खेले के चारों ओर पन्डे नैखम स्थापित करवाने का वरगुड है। इमलिए प्राथी को इमलिए स्वीकर हीमा जाउर नैखमवरी कोश किया जावे।</p>	

अतः पार्थी के अविद्यमानता के निवेदन पर पार्थी द्वारा अस्तित्व राजस्व कावेडन की स्वीकार किया जाडा तहसीलदार बामपुर को इमिशनर नियुक्त किया जाडर इगडेश दिया जाला है कि काय स्वमं या कायने अधिनस्थ किली भी भू-अभिलष्य निरिस्तु ले पार्थी के घातेदारी घेतो की पन्ही नेघासकनी मोडे पर सुब्बु जमाडराडा के पालना रिपोर्टि प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली जमल शुमार होडज नम्बर ले डम हो दाखिल दमल हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायत

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2017/ 541

दिनांक:- 22/02/2017

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. नाथाराम पुत्र खेराजराम जाति जाट
निवासी कोसरिया तह. बायतु जिला
बाड़मेर

1. पूनमाराम पुत्र खेराजराम
वगैरा 22 जाति मेगवाल निवासी
कोसरिया तह. बायतु जिला
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 234/16

आदेश

खसरा नं. 165, 611/218, 612/246 रकबा क्रमशः 16.09 बीघा, 53.10 बीघा, 12.06 बीघा मौजा कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया भू अभिलेख वृत्त भीमडा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2017/ 542 to 546

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नाथाराम पुत्र खेराजराम।
4. विप्रार्थी श्री पूनमाराम पुत्र खेराजराम वगैरा 22।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
महाश्वेत कलेक्टर (SDO)
दिनांक: 22/02/2017

महाश्वेत कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
बायतु